इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382] भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 जुलाई 2018—आषाढ़ 16, शक 1940

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 1:26/2018/15:2 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अनुदेशों, परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त सह सहायक पंजीयक, सहकारी समिति की विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ,–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग (विभागीय परीक्षा) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, आयुक्त सहकारिता विभाग;

(ख) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, सहकारिता विभाग;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 4 में यथा उपबंधित विभागीय परीक्षा;

(घ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ड.) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम;

3. **लागू होना** – ये नियम मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक सहायक आयुक्त सह सहायक पंजीयक, सहकारी समिति को लागू होंगे।

4. **विभागीय परीक्षा,–**

(1) विभागीय परीक्षा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी समिति, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) परीक्षा वर्ष में आवश्यकतानुसार दो बार क्रमशः माह जनवरी एवं जुलाई में आयोजित की जायेगी ।

परीक्षा की योजना,– परीक्षा में निम्नलिखित छह प्रश्नपत्र होंगे :–

(1) सहकारिता सामान्य।

(2) सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित)

(3) सहकारी बैंकिंग प्रणाली।

(4) सहकारी लेखा, अंकेक्षण।

(5) आदेश लेखन (पुस्तकों सहित)

(6) सामान्य हिन्दी (गैर हिन्दी भाषी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिये)।

अनु.	विषय एवं प्रश्न पत्र	अवधि	पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहकारिता सामान्य	3 घन्टे	100	65
2.	सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित)	3 घन्टे	100	65
3.	सहकारी बैंकिंग प्रणाली	3 घन्टे	100	65
4.	सहकारी लेखा, अंकेक्षण ।	3 घन्टे	100	65
5.	आदेश लेखन (पुस्तकों सहित)	3 घन्टे	100	65
6.	सामान्य हिन्दी (गैर हिन्दी भाषी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिये)	3 घन्टे	100	65

टीपः ऐसे समस्त अधिकारियों को गैर हिन्दी भाषी समझा जायेगा :–

(1) जिन्होंने मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम या हिन्दी विषय लेकर उत्तीर्ण नहीं की हो, या

(2) जिनकी मात्र भाषा हिन्दी न हो, या

(3) जिन्होंने मैट्रिक के समकक्ष घोषित की गई हिन्दी परीक्षा में से कोई भी उत्तीर्ण न की हो ।

6. **विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम** – परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम अनुसूची–एक में वर्णित किया गया है ।

7. **विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने का स्तर** – अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगेः

परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षु अधिकारियों हेतु प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक अंक 55 होंगे ।

8. **परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर शास्तियां,–**

अभ्यर्थी को परीक्षा दो वर्ष की कालावधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी। यदि उनमें से कोई पास करने में असफल रहता है तो उसका स्थायीकरण नहीं किया जाएगा तथा द्वित्तीय वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगीः

परंतु प्रश्न पत्र 4 एवं 5 उत्तीर्ण करने पर प्रथम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी किन्तु आगामी वेतनवृद्धियां तब तक स्वीकृत नहीं की जावेंगीं जब तक कि प्रशिक्षु समस्त प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

9. **परीक्षा का संचालन :**

(1) विभागीय परीक्षा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश के नियंत्रण में आयोजित की जायेगी ।

(2) विभिन्न प्रश्न पत्रों को तैयार कराने, मुद्रण तथा उत्तर पुस्तिका की जांच कराने एवं परिणाम तैयार करने का अधिकार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश का होगा ।

(3) समस्त प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में तैयार किये जायेंगे ।

(4) लघु उत्तरीय एवं विवरणात्मक प्रश्न पत्रों में आंतरिक विकल्प भी दिये जा सकते हैं।

(5) प्रश्न पत्रों को तैयार किये जाने के दौरान उनकी पूर्ण गोपनीयता रखे जाने का दायित्व आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश एवं प्रश्न तैयार करने वाले (सेटर) एवं मूल्यांकक (वेल्युअर) का होगा।

(6) पर्यवेक्षकों के लिये, प्रश्न तैयार करने के लिये, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये पारिश्रमिक का निर्धारण आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से शासन द्वारा किया जायेगा।

(7) परीक्षा के दौरान उन प्रश्न पत्रों में जो पुस्तकों सहित हैं, सन्दर्भ के लिये अभ्यार्थी द्वारा सुसंगत पुस्तकें ले जाना अनुज्ञात होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

अनुसूची– एक
(नियम 6 देखिए)
विभागीय परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रथम पत्र– एक

सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के)

1. भारत में सहकारिता का विस्तार, सहकारिता विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों का अध्ययन एवं रिपोर्ट, सहकारिता का विकास ।
2. विदेशों में सहकारिता की स्थिति एवं क्रमिक विकास।
3. सहकारिता की विशिष्टतायें, विधान, उद्देश्य, दक्षता, वित्तीय संसाधन, प्रबन्धन के व्यवसायों के वित्तीय लाभ का वितरण ।
4. सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रावधान ।
5. भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड की भूमिका ।
6. सहकारी संस्थाओं के गठन, रजिस्ट्रीकरण, सदस्य एवं उनके अधिकार तथा दायित्व, सोसाईटियों के कर्तव्य, उनकी सम्पत्ति तथा निधियां, सोसाईटियों का प्रबन्धन, वाद–विवाद, परिसमापन, अपराध तथा शास्तियां, अधिकरण का गठन एवं उनके दायित्व, न्यायालयीन कार्यवाहियां।

प्रश्न पत्र– दो

सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित)

1. भारत में सहकारी विधान का इतिहास, समयँ–समय पर सहकारिता से संबंधित बनाये गये अधिनियम ।
2. सहकारी अधिनियम का समीक्षात्मक अध्ययन, सहकारी अधिनियम की विभिन्न अधिसूचनायें, जो सहकारी क्षेत्रों में लागू हैं ।

3. सहकारी संस्थाओं की उपविधियों का समीक्षात्मक अध्ययन ।

4. मध्यप्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम। अन्य अधिनियम एवं कानून– यथा :–

(1) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 ।

(2) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (अ) विक्रय (ब) विभिन्न प्रकार के बंधक विलेख (स) प्रभार (द) लीज सुविधा ।

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 का सामान्य अध्ययन, भारतीय माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 का सामान्य अध्ययन, भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के सुसंगत प्रावधान ।

(4) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959।

(5) बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949।

प्रश्न पत्र–तीन

सहकारी बैंकिंग प्रणाली (बिना पुस्तकों के)

1. बैंकिंग के सिद्धान्त एवं व्यवहार ।

2. भारत में बैंकिंग का इतिहास ।

3. प्रदेश में सहकारी बैंकिंग/साख संरचना – अपैक्स बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, पैक्स/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ।

4. भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के सहकारिता से संबंधित कार्य ।

5. बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के सहकारिता से संबंधित प्रावधान ।

6. नागरिक सहकारी बैंक एवं शहरी साख संरचना ।

7. सहकारी साख संरचना और ऑन लाईन बैंकिंग की भूमिका ।

प्रश्न पत्र– चार

सहकारी लेखा, अंकेक्षण तथा लेखा परीक्षण

1. लेखा पद्धति के सामान्य सिद्धान्त, द्विप्रविष्टि एवं एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली तथा उसके गुण–दोष ।

2. आय–व्यय लेखा पत्रक, व्यापारिक पत्रक, लाभ–हानि पत्रक, स्थिति विवरण पत्रक।

3. पंजी एवं सम्पत्तियों का वर्गीकरण ।

4. पूंजीगत लेखा एवं राजस्व लेखा ।

5. विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनायी जा रही लेखा पद्धति।

6. सहकारी संस्थाओं में लेखा एवं अंकेक्षण संबंधी प्रावधान ।

7. विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिकीय विवरणियां एवं उनके लिये सहकारिता अधिनियम में निर्धारित शास्तियां ।

8. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में अल्पावधि कृषि ऋणों को स्वीकृत करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ।

9. खातों का मिलान एवं समाधान ।

10. सहकारी संस्थाओं के लिये अंकेक्षण हेतु सनदी लेखापालों की भूमिका ।

11. अंकेक्षण की परिभाषा, अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ एवं आंतरिक अंकेक्षण।

12. विभिन्न प्रकार लेखा बही खाते, रोकड़ बही, जनरल लेजर एवं अन्य सहायक लेखा बहियां ।

13. विभिन्न प्रकार के बही खातों का परीक्षण ।

14. वार्षिक खाता बन्दी एवं सम्पत्तियों का सत्यापन ।

15. रिजर्व, अन्य रक्षित एवं अन्य निधियों के प्रावधान ।

16. लाभ का वितरण ।

17. वित्तीय पत्रकों का तैयार किया जाना ।

18. अंकेक्षण टीप पारित करना एवं अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण ।

प्रश्न पत्र– पांच

आदेश लेखन (पुस्तकों सहित)

किसी प्रकरण में आदेश लेखन एवं जांच रिपोर्ट तैयार करना ।

प्रश्न पत्र– छह

सामान्य हिन्दी

हिन्दी प्रश्न पत्र का स्तर कक्षा दसवीं के स्तर के समकक्ष रहेगा ।

Bhopal, the 7th July 2018

No. F 1/26/2018/15-2 :: In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of constitution of India and in supersession of all previous orders, circulars issued before for the purpose, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for departmental examination for Assistant Commissioner cum Assistant Registrar Co-operative Societies of the Co-operative Department, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement,-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Co-operative Department (Departmental Examination) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions- In these rules unless the context otherwise requires:-

(a) **"Commissioner"** means the Commissioner, Co-operative and Registrar Co-operative Societies, Madhya Pradesh;

(b) **"Department" means the** Co-operative Department;

(c) **"Examination"** means Departmental Examination as provided in rule 4;

(d) **"Schedule"** means Schedule appended to these rules;

(e) **"Syllabus"** means syllabus as specified in Schedule–I appended to these rules.

3. Application- These rules shall apply to every Assistant Commissioner cum Assistant Registrar Co-operative Societies directly recruited through Madhya Pradesh Public Service Commission.

4. Departmental Examination:

(1) Commissioner Co-operative and Registrar Co-operative Societies, Madhya Pradesh shall conduct Departmental examination.

(2) The examination shall be conducted twice in a year, in the month of January and July as per the requirement.

5. Scheme of Examination- There shall be following six papers in the examination,-

(1) Co-operative general

(2) Co-operative and general law (with books)

(3) Co-operative banking system

(4) Co-operative account and Audit

(5) Order writing

(6) General Hindi (for non Hindi speaking trainees)

S.No.	Subject and question paper	Duration	Maximum marks	Minimum eligibility marks
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Co-operative General	3 hours	100	65
2.	Co-operative and general law(with books)	3 hours	100	65
3.	Co-operative banking	3 hours	100	65
4.	Co-operative account and audit	3 hours	100	65
5.	Order writing (with books)	3 hours	100	65
6.	General Hindi (for non Hindi speaking trainees)	3 hours	100	65

Note: All such officers,-

(1) Who have not passed Matric or equivalent examination with Hindi medium or with Hindi subject, or

(2) Whose mother tongue is not Hindi, or

(3) Who have not passed Hindi subject in any examination equivalent to Matric; shall be treated as non-Hindi speaking officers.

6. **Syllabus for Examination,**- Syllabus for departmental examination has been described in Schedule–I

7. **Standards for Passing the Examination-** The candidates shall have to obtain minimum 65 percent marks in each paper:

Provided that Minimum eligibility marks for scheduled caste and scheduled tribe trainee officers shall be 55 in each question paper.

8. Penalties for not Passing the Examination,- Candidates shall have to pass the examination within a period of two years. If any of them is unable to pass, he shall not be confirmed and second increment shall not be released:

Provided that First increment shall be released after passing fourth and fifth paper but next increments shall not be released until the trainee shall pass all question papers.

9. Conduct of Examination-

(1) Departmental examination shall be conducted under supervision and control of the Commissioner, Co-operative and Registrar Co-operative Societies, Madhya Pradesh.

(2) The Commissioner, Co-operative and Registrar Co-operative Societies, Madhya Pradesh shall have the right to prepare and printings of different papers, valuation of answer books and preparation of result.

(3) All question papers shall be prepared in Hindi language.

(4) Internal alternates may be given in short and descriptive questions.

(5) The Commissioner Co-operative and Registrar Co-operative Societies shall maintain complete secrecy at the time of preparation of paper.

(6) The decision regarding payment of remuneration to the supervisors, preparation of question papers and valuation of answer books shall be taken by the State Government on the recommendation of the Commissioner, Co-operative and Registrar Co-operative Societies Madhya Pradesh.

(7) Standard books may be consulted for the papers, which are with books, during the examination.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
K. C. GUPTA, Principal Secy.

Schedule–I

(See rule 6)

Syllabus for departmental examination

Question Paper No. 1

Cooperative general (without books)

1. Expansion of cooperative Movement in India, study and report of different cases on the subject cooperation, development of cooperatives.
2. Status of cooperative Movement in foreign and systematic development.
3. Speciality of Corporation, law, objective, Efficiency, liquidity of resources, management of business, distribution of profit.
4. Inspection of Cooperative institutes, control and provision for supervision.
5. Role of Indian Reserve Bank and NABARD.
6. organisation of cooperative societies, registration, members, his rights and liabilities, duties of societies, Assets and funds, funds management of societies, disputes, liquidation ,offence and penalties, establishment of Tribunal and liabilities, judicial proceedings.

Question Paper No. 2

Cooperative and general law (with books)

1. History of cooperative legislation in India, Acts related to Cooperative from time to time.

2. Critical study of Cooperative Societies Act, Different notification under cooperative societies act, which are applicable in Cooperative sector.
3. Critical study of model bye laws of different societies.
4. Madhya Pradesh state Agriculture and Rural Development Bank Act, other acts and laws, as-
   (1) Indian Contract Act, 1872.
   (2) Transfer of Property Act, 1882-**(a)** Sale **(b)** Different type of Mortgage deed **(c)** Charge **(d)** Lease.
   (3) General study of limitation Act, 1963, General study of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and related provision of Criminal Procedure Code, 1973.
   (4) Madhya Pradesh Shop and Establishment Act, 1958 Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.
   (5) Banking Regulation Act, 1949.

Question Paper No. 3

Cooperative Banking System (without books)

1. Principle and practice of banking.
2. History of banking in India.
3. Cooperative bank in a state/ credit structure- Apex Bank, District Central Cooperative Banks, PACS/ District Central agriculture and Rural Development Bank.
4. Acts of Reserve Bank Of India and NABARD.
5 Related charges of Banking Regulation Act in reference of cooperatives.
6. Urban cooperative bank and urban credit structure.

7. Cooperative Credit structure and role of online banking.

Question Paper No. 4

Cooperative Accounts, Audit (without books)

1. General principles of accountancy, double entries and single entry system and it's merits and demerits.
2. Receipts and disbursement Accounts, trading account, profit loss accounts, financial statements.
3. Classification of capital assets.
4. Capital accounts and revenue accounts.
5. Accounting process adopted by different type of cooperative societies.
6. Provisions relating to accounts and audit can cooperative societies.
7. Annual statements which have to be submitted to department and prescribed penalties
8. Process adopted primary Cooperative credit societies for sanctioning of agricultural loans.
9. Reconciliation of accounts.
10. Appointment of Chartered Accountants for auditing of cooperative societies.
11. Definition of audit, object of audit and merit, internal audit.
12. Different types of account books, financial books, general ledger and other subsidiary ledgers.
13. Examination of different types of account books.
14. Annual closing of accounts and verification of assets.
15. Provision for reserve, other reserve and other funds.

16. Distribution of profit.

17. Preparation of financial statements.

18. Approval of audit note and levy of audit fee.

Question Paper No. 5

Order writing (with books)

Order writing in any case and preparation of inquiry report.

Question Paper No. 6

General Hindi (without books)

Standard of Hindi question paper shall be up to the level of class 10th.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.